دليل المسلم

تأليف

عبدالكريم عبدالمجيد الديوان

مراجعة

أبو خالد جاويد أحمد السعيدي

मुस्लिम का मार्गदर्शक

लेखकः अब्दुल करीम अब्दुल मजीद अद्दीवान

संशोधन

अबू ख़ालिद जावेद अहमद सईदी

الهندية

سلطانة
Sultanah

دليل المسلم – هندي

मुस्लिम का मार्गदर्शक

लेखकः अब्दुल करीम अब्दुल मजीद अद्दीवान

अनुवादः मुहम्मद फ़ुरक़ान अब्दुल हफ़ीज़

सम्पादनाः मक्तब दअ़्वा, रबवह

इस पुस्तिका के बारे में

शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल्जिब्रीन का विचार

समस्त प्रशंसा उस अल्लाह के लिए जो अकेला है, और दरूद व सलाम नाज़िल हो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम), आपके परिवार और आपके अनुयाईयों (सहाबए किराम) पर।

इसके बाद! मैं ने इस संक्षिप्त पुस्तिका को पढ़ा जिसे हमारे भाई शैख़ अब्दुल करीम अद्दीवान (अल्लाह उनकी रक्षा करे और उन्हें तौफ़िक़ से नवाज़े) ने लिखा है। इसमें उन्हों ने दीन के वाजिबात व अहकाम को उत्तम ढंग से लिखकर उम्मत को लाभ पहुँचाया है। और प्रारंभिक वर्ग के व्यक्तियों और नये मुस्लिमों को जिस ज्ञान की आवश्यक्ता होती है उसी पर बस किया है। और जिस मस्अलह में मतभेद (इख़्तिलाफ़) नहीं है या जो इबादात और मुआमलात (आचार–आचारण) में राजिह (प्राधान्य) है उसे स्पष्ट और उत्तम शैली में प्रस्तुत किया है।

इसी लिए हम इसका अनुवाद और व्यापक प्रकाशन की सलाह देते हैं, यह आशा करते हुए कि यह उस व्यक्ति के लिए रास्ता को उजाला करेगी जो ऐसी घाटी के किनारे पर खड़ा है जो ध्वस्त हो

जाने वाला है। इस लिए कि जाहिल (नादान) व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के हाथों शिकार हो सकता है जो उसे गुमराह कर दे और उसे बिदआ़त व ख़ुराफ़ात की घाटी में धकेल दे। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ देने वाला है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम), आपके परिवार और आपके अनुयाईयों (सहाबए किराम) पर।

अब्दुल्लाह बिन
अब्दुर्रहमान अल्जिब्रीन

भूमिका

समग्र प्रशंसा अल्लाह तआ़ला के लिए है, और दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे व सल्लम) पर। इसके बाद!

यह संक्षिप्त पुस्तिका नये मुस्लिमों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए लिखी गई है जिन्हें इस्लाम के अहकाम के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है। यह पुस्तिका अक़ीदह (विश्वास) इबादत (उपासना) और मुआ़मलात (आचार–आचारण) संबंधी दीने इस्लाम के कतिपय (चंद) अहकाम पर आधारित है।

यह जान लेना चाहिए कि इसमें दीने इस्लाम के सारे अहकाम नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि इसमें फर्ज़, अर्कान और वाजिबात पर ही बस किया गया है। और इसमें सुन्नत, आदाब और मुस्तहब बातें नहीं लिखी गई हैं। इस लिए कि मुस्तहब की तुलना में वाजिब का जानना अधिक महत्वपूर्ण है, और इस लिए भी कि अति महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण से पहले बयान करना ज़्यादा मुनासिब है। और इस पुस्तिका में जो भी मस्अला लिखा हुआ है, उस विषय में कोई अधिक जानकारी हासिल करना चाहे तो वह विद्वानों की पुस्तकों का अध्ययन करे या विद्वानों से

प्रश्न करे।

मैं अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करता हूँ कि हमारे इस अमल को वह अपनी रिज़ामंदी के लिए ख़ालिस कर दे और हमें तौफ़िक़ और सफलता प्रदान करे। आमीन।

लेखक

अ़ब्दुल करीम बिन अ़ब्दुल मजीद अद्दीवान

पहला अध्याय

अ़क़ीदह

मुस्लिम पर वाजिब है कि वह अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, अंतिम दिन पर और अच्छी बुरी तक़दीर पर विश्वास रखे।

1. अल्लाह तआ़ला पर विश्वास रखनाः

हम अल्लाह तआ़ला की रुबूबिय्य (प्रभूता) पर विश्वास रखते हैं कि वह रब है, पैदा करने वाला है, मालिक है और सारे कार्य का संचालक है। मूलतः पैदा करने में वह अकेला है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة فاطر: ٣]

"क्या अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य भी स्रष्टा है जो तुम्हें आकाश तथा धरती से जीविका पहुँचाये?" (सूरह फ़ातिरः 3)

वह मुल्क (आधिपत्य) में अकेला है यानी हम यह विश्वास करें कि वही संसार का मालिक और उसका स्रष्टा है, जैसा कि वह फ़रमाता हैः

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٩]

"और आकाशों और धरती का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है।" (सूरह आले इमरानः 189)

संसार का संचालन करने में वह अकेला है, अर्थात मनुष्य यह विश्वास रखे कि अल्लाह वहदहु के अतिरिक्त कोई संचालक नहीं है। जैसा कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ. فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

[سورة يونس: ٣١-٣٢]

"(हे नबी!) आप पूछें कि वह कौन है जो तुमको आकाश तथा धरती से जीविका पहुँचाता है, वह कौन है जो कानों तथा आँखों पर पूर्ण अधिकार रखता है, तथा वह कौन है जो सजीव को निर्जीव से निकालता है, तथा निर्जीव को सजीव से निकालता है, तथा वह कौन है जो सभी कार्यों का संचालन करता है? अवश्य वह यही कहेंगे कि

अल्लाह। तो उनसे कहिए कि फिर डरते क्यों नहीं? तो यह है अल्लाह तआ़ला जो तुम्हारा सत्य प्रभू है, फिर सत्य के पश्चात अन्य क्या रह गया सिवाय भटकावे के, फिर कहाँ फिरे जाते हो?" (सूरह यूनुसः 31,32)

अल्लाह तआ़ला की उलूहियत (पूजा योग्यता) पर हम विश्वास रखते हैं, यानि वही सत्य पूज्य है, उसके अतिरिक्त पूजा की जाने वाली हर चीज़ झूठ और बातिल है और बेशक पूजा का हक़दार वही अकेला अल्लाह तआ़ला है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ [سورة لقمان: ٣٠]

"यह सब (प्रबन्ध) इस कारण है कि अल्लाह तआ़ला सत्य है तथा उसके अतिरिक्त जिनको लोग पुकारते हैं सब असत्य है।" (सूरह लुक़मानः 30)

पूजा (इबादत) के क़िस्मों में से कोई भी क़िस्म अगर किसी ने अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए किया, जैसे दुआ़ (प्रार्थना), इस्तिग़ासा (कठिनाई के समय सहायता माँगना), नज़्र व ज़बह इत्यादि, तो वह शिर्क के जाल में फँस गया, यानि

उसने इबादत में अल्लाह तआ़ला के साथ दूसरों को साझी कर लिया। चाहे यह पूजा जिस व्यक्ति के लिए की जाए वह क़रीबी फ़रिश्ता हो, या भेजा हुआ रसूल हो, या अल्लाह के वलियों में से कोई वली हो या कोई भी मख़लूक़ हो।

जो व्यक्ति इस शिर्क के जाल में फँस गया, उसे बेशक अल्लाह तआ़ला क्षमा नहीं करेगा और उसका ठिकाना हमेशा की आग है। (अगर वह अपने इस कार्य से तौबह नहीं करता है और मरने से पहले इसे नहीं छोड़ देता है।) अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾

[سورة النساء: ١١٦]

"अल्लाह अपने साथ शिर्क किये जाने को कभी क्षमा नहीं करेगा और इसके सिवाय (पापों) को जिसके लिए चाहे क्षमा कर देगा।" (सूरह निसाः 116)

और हम अल्लाह तआ़ला के उन नामों और सिफ़तों (गुणों) पर विश्वास रखते हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने अपने लिए साबित किया है या उसके लिए उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने साबित किया है। परन्तु हम अल्लाह के गुणों को

सृष्टि के किसी गुण से तशबीह नहीं देते हैं, और न हम यह कहते हैं कि उसकी सिफ़तें इस इस तरह की हैं। बल्कि हम वही कहते हैं जैसे उसने अपने बारे में फ़रमाया है:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى: ١١]

"उस जैसा कोई वस्तु नहीं, वह सुनने वाला देखने वाला है।" (सूरह शूराः 11)

कुरआन व हदीस में अल्लाह के जिन सिफ़ात का ज़िक्र (उल्लेख) मिलता है, चाहे तफ़्सीली तौर पर, या इजमाली तौर पर (विस्तारित या संक्षिप्त रुप से), अथवा किसी गुण को साबित करता हो या किसी ऐब का इनकार करता हो, हम कुरआन व हदीस की उन दलीलों को ज़ाहिरी मअ़ना पर जारी करते हुए अल्लाह तआ़ला की सिफ़तों को उस हक़ीक़त पर महमूल करेंगे जिस तरह उसके लिए लायक़ व ज़ेबा है, अर्थात बग़ैर तकईफ़, बग़ैर तम्सील[1], बग़ैर तहरीफ़[2] और बग़ैर

---

[1] बग़ैर तकईफ़ और बग़ैर तम्सील के विश्वास करने का मतलब यह है कि मनुष्य अपनी ओर से, अपनी सोच विचार की सहायता से अल्लाह तआ़ला के सिफ़ात की कैफियत बयान करके सीमा पार न कर जाए और उसके गुणों की तुलना मखलूक़ के गुणों से न करे।

[2] बग़ैर तहरीफ़ (हेरफेर) के विश्वास करना। तहरीफ़ का मतलब यह है कि बग़ैर किसी ठोस प्रमाण के कुरआन और हदीस के शब्दों को

तअ़्तील[1] के। इस बारे में उम्मत के पूर्वजों (सलफ़) और सही दिशा पर चलने वाले इमामों का यही मनहज और तरीक़ा रहा है।

और हम उन सब बातों की नफ़ी (इनकार) करते हैं जिन की अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में नफ़ी (इनकार) की है, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सिफ़ात (गुण) या अफ़आ़ल (कार्य) इत्यादि की नफ़ी (इनकार) की है। और हम उन तमाम बातों से ख़ामोशी इख़्तियार करते हैं जिन से अल्लाह और उसके रसूल ख़ामोश हैं। हम यह भी विश्वास करते हैं कि अल्लाह तआ़ला आसमान में अपने अर्श पर है, और वह (अपने इल्म व ज्ञान से) अपनी मख़लुक़ के साथ है, उनकी हालत को जानता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके कार्यों को देखता है, उनकी आवश्यकताओं का संचालन करता है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।

ज़ाहिरी अर्थ से फेर कर कोई अन्य अर्थ समझना और कुरआन व हदीस में जो नुसूस आए हैं उन्हें उनके असली मअ़्ने से फेर देना।

[1] बग़ैर तअ़्तील (इनकार) विश्वास करना। तअ़्तील कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने अपने लिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने अल्लाह तआ़ला के लिए जो नाम सिफ़ात (गुण) और अफ़आ़ल (कार्य) साबित किया है उन्हें साबित नहीं करना।

2. फरिश्तों पर विश्वास रखना:

फरिश्ते ग़ैब (परोक्ष) में रहने वाली मख़लूक़ है। हम अल्लाह के फरिश्तों के बारे में यह विश्वास करते है कि वह लोग:

﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

[سورة الأنبياء: ٢٦-٢٧]

"उसके सम्मानित भक्त हैं। उसके (अल्लाह के) सक्ष बढ़कर नहीं बोलते, और उस के आदेशों पर कार्यरत हैं।" (सूरह अलअम्बिया: 26–27)

अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है। वह लोग उसी की इबादत (उपासना) करते हैं और उसके आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विशेष कार्य हैं,. उन्हें अल्लाह तआ़ला ने संसार के विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया है। कुछ इन्सानों के रक्षक हैं, कुछ उनके आमाल (कार्यों) को लिखने वाले हैं, कुछ उनकी रूहों को खींचने वाले हैं। उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त उनके और भी बहुत से कार्य हैं।

अल्लाह तआ़ला ने उन्हें हम से छुपा रखा है। इसी लिए हम उन्हें नहीं देखते हैं और कभी कभी अल्लाह तआ़ला ने उन्हें अपने कुछ बन्दों को

दिखाया भी है।

अल्लाह तआ़ला ने उन्हें महान शक्तियों और गुणों से नवाज़ा है, जैसे तेज़ी, शक्ति, रूप धारण इत्यादि। वे थकते नहीं हैं।वे बेशुमार हैं। अल्लाह तआ़ला ने उन में से कुछ के नाम बताया है और उनके कुछ कार्यों को भी बताया है।

जिब्रील: रसुलों के पास वही (संदेश) पँहुचाने का जिम्मेदार है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ﴾

[سورة البقرة: ٩٧]

"(ऐ नबी!) आप कह दीजिए कि जो जिब्रील का शत्रु हो, जिसने आप के दिल पर अल्लाह का संदेश उतारा है।" (सुरह अल्बक़रह 97)

मालिक: जहन्नम के दारोग़ा का नाम है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ﴾ [سورة الزخرف: ٧٧]

"तथा वे (जहन्नमी) पुकार कर कहेंगे: ऐ मालिक! तेरा प्रभु हमारा काम ही तमाम कर दे, वह कहेगा: तुम्हें तो (सदैव) रहना है।" (सूरह अज़्ज़ुख़रूफ़: 77)

मुनकिर नकीरः यह दो वह फरिश्ते हैं, जो क़ब्र में बन्दे से प्रश्न करते हैं।

3. अल्लाह की किताबों पर विश्वास रखनाः

हम उन तमाम किताबों पर विश्वास रखते हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूलों पर नाज़िल फ़रमाया है। और कुरआने करीम जिसे उसने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर (ख़ातमुन्नबीयीन पर) नाज़िल फ़रमाया है, सब से उत्तम किताब है और यह अपने से पहली अन्य आसमानी किताबों को मनसूख़ (रहित) करने वाला है। अल्लाह तआ़ला इस बारे में फ़रमाता हैः

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [سورة المائدة: ٤٨]

"तथा हमने आप की ओर सत्य से परिपुर्ण यह किताब उतारी है, जो अपने पुर्व की सभी किताबों की पुष्टि करती है तथा उनकी रक्षक है।" (सुरह अल्माइदह 48)

और हम यह भी विश्वास करते हैं कि कुरआन से पहले सब किताबों में तहरीफ़ यानी फेर–बदल किया गया, इसी लिए पिछली सब किताबों को छोड़कर कुरआन का आज्ञा पालन करना वाजिब

है। अल्लाह तआ़ला ने खिलवाड़ों के खिलवाड़ और फेर–बदल (तहरीफ़) करने वालों की गुमराही से कुरआन की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी ले लिया है। अल्लाह तआ़ला इस की रक्षा के विषय में कहता है:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر: ٩]

"निःसंदेह हम ने इस कुरआन को उतारा है तथा हम ही इस के रक्षक हैं।" (सूरह अल्हिज्रः 9)

जिस व्यक्ति ने कुरआने करीम के किसी भाग का इनकार किया या उस में कमी–ज़्यादती या तहरीफ़ (फेर–बदल) का दावा किया तो वह काफ़िर है।

कुरआन अपने अक्षर और मअ़्ना के साथ अल्लाह का कलाम है जो उसके पास से नाज़िल हुआ है और ग़ैर मख़लूक़ है।

4. अल्लाह तआ़ला के नबियों और रसुलों पर विश्वास रखनाः

अल्लाह तआ़ला ने उन्हें अपनी मख़लूक़ के पास भेजा है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [سورة النساء: ١٦٥]

"(हमने इन्हें) खुशख़बरी देनेवाला और डराने वाला

रसूल बनाया ताकि लोगों को उनके भेजने के पश्चातअल्ला ह तआ़ला पर कोई हुज्जत न रह जाये। और अल्लाह बड़ा बलवान तथा बड़ा ज्ञानी है।" (सूरह निसा:165)

और हम यह भी विश्वास करते हैं कि प्रथम रसूल नूह अलैहिस्सलाम और अंतिम रसुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾ [سورة النساء: ١٦٣]

"निःसंदेह हम ने आपकी ओर उसी प्रकार वही की है जैसे कि नूह (अलैहिस्सलाम) और उनके पश्चात के नबियों की ओर हम ने वही की।" (सूरह निसा: 163) और अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: ٤٠]

"(लोगो) तुम्हारे पुरूषों में से किसी के पिता मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) नहीं हैं, परन्तु आप अल्लाह के रसूल हैं तथा समस्त नबियों में अन्तिम हैं। और अल्लाह तआ़ला प्रत्येक वस्तु को

भली भाँति जानने वाला है।" (सूरह अहज़ाबः 40)

जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किया या उस व्यक्ति की पुष्टि की जिस ने नबी होने का दावा किया तो वह काफिर है। इस लिए कि वह अल्लाह को, उसके रसूल को और मुसलमानों के इजमाअ् को झुटलाने वाला है।

और हम यह भी विश्वास करते हैं कि अम्बिया व रसूलगण अन्य मनुष्यों से उत्तम हैं। जिसने इसके अतिरिक्त दूसरा विश्वास रखा उसने कुफ़्र किया। और हम यह विश्वास करते हैं कि तमाम रसूल इन्सान व मख़लूक़ हैं। उन में रब होने की कोई विशेषता नहीं है। अल्लाह तआ़ला अपने नबी को आदेश देते हुए फ़रमाता हैः

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللهُ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٨]

"आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी लाभ–हानी का अधिकार नहीं रखता, परन्तु उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो।" (सूरह अल्आराफ़ः 188) और यह कहने का भी आदेश दियाः

﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

[سورة الجن: ٢٢]

"कह दीजिए कि मुझे कदापी कोई अल्लाह से नहीं बचा सकता तथा मैं कदापी उसके अतिरिक्त शरण का स्थान भी नहीं पा सकता।" (सूरह अल्जिन्नः 22)

और हम यह भी विश्वास करते हैं अल्लाह तआ़ला ने तमाम रसूलों की रिसालत को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के द्वारा ख़त्म कर दिया है और समग्र मनुष्य की ओर आपको रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ سورة الأعراف: ١٥٨]

"आप कह दीजिए कि हे लोगो! मैं तुम सब की ओर रसूल बनाकर भेजा गया हुँ।" (सूरह अल्आराफ़ः 158)

अल्लाह तआ़ला अपने धर्म (इस्लाम) के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं करता। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة آل عمران: ٨٥]

"और जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म की खोज करे उस का धर्म मान्य नहीं होगा, और वह आख़िरत में घाटा उठाने वालों में होगा।" (सूरह आले इमरानः 95) इसी लिए जिस व्यक्ति ने इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्म को अपनाया वह काफिर है। और इसमत मुहम्मद रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है।

5. आख़िरत के दिन पर ईमान लानाः हम यह विश्वास करते हैं कि इस दुनिया के जीवन के लिए एक अन्तिम लम्हा है जिस में यह समाप्त हो जाएगी। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

سورة الرحمن: ٢٦-٢٧]

"धरती पर जो कुछ भी है सब समाप्त होने वाली है। केवल तेरे प्रभू का मुख जो महान एवं सम्मानित है बाक़ी रह जाएगा।" (सूरह अर्रहमानः 26–27)

और हम क़ब्र के फितनह (प्रश्नोत्तर) पर विश्वास करते हैं, जो आख़िरत की पहली मन्ज़िल है,

जिस में मृतक से उसके रब, उसके धर्म और उसके नबी के बारे में प्रश्न किया जाएगा। और हम यह भी विश्वास करते हैं कि विश्वासियों को क़ब्र में नेअ़्मत मिलती है और ज़ालिमों को अज़ाब दिया जाता है।

आख़िरत के दिन से मुराद क़ियामत का दिन है जब अल्लाह तआ़ला लोगों को बदला देने के लिए उन की क़ब्रों से ज़िन्दा उठाएगा, और उनके सब कर्मों का हिसाब लेगा। फिर नेककारों को जन्नत में सदा की नेअ़्मत से नवाज़ेगा और बदकारों को आग में ज़िल्लत वाले अज़ाब से दोचार करेगा। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ [سورة الزمر: ٦٨]

"तथा सूर (नरसिघां) फूँक दिया जाएगा तो आकाशों तथा धरती वाले सभी अचेत होकर गिर पड़ेंगे परन्तु जिसे अल्लाह चाहे, फिर पुनः सूर फूँका जाएगा तो वे सहसा खड़े होकर देखने लग जायेंगे।" (सूरह अज़्ज़ुमरः 68)

और इस दिन से पहले क़ियामत की निशानियाँ आएंगी। हम उस दिन कि उन तमाम

सुचनाओं और परीशान करने वाली हालतों को विश्वास करते हैं, जो कुरआन और हदीस में बयान की गईं हैं।

6. अच्छी बुरी तक़दिर पर विश्वास रखनाः इस रुक्न पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने इल्म व हिकमत के अनुसारसमू ह संसार का भाग्य निर्धारण कर दिया है। हम इस पर इस तरह ईमान लायेंगे किः

–अल्लाह तआ़ला ने प्रत्येक वस्तू को उसके होने से पहले जान लिया।

–और उसे लौहे महफ़ुज़ में अपने पास लिख लिया।

–और उसने जो चाहा वह हुआ और जो नहीं चाहा वह नहीं हुआ। अतः कोई चीज़ संघटित नहीं होती है, मगर वह जो चाहता है, और वह प्रत्येक चीज़ पर क़ादिर है।

–और वही प्रत्येक चीज़ का पैदा करने वाला है, ज़ो चाहता है कर डालता है।

अ़क़ीदा (आस्था) संबंधी कुछ और बातेंः

हमारा यह ईमान है कि अल्लाह के अतिरिक्त ग़ैब जानने वाला कोई नहीं है। जिस व्यक्ति ने ज्योतिषी और काहिन के सच्चा होने का अक़ीदा रखा वह काफिर हो गया। उनको लाना और उनके

पास जाना बड़ा पाप (कबीरा गुनाह) है। (किसी वस्तु से) बरकत हासिल करने के लिए कुरआन व हदीस से उस की पुष्टि आवश्यक है। अतः बग़ैर दलील के किसी चीज़ से बरकत हासिल करना जाएज़ नही है।

तवस्सुलः जिस वसीला (माध्यम) की अनुमति कुरआन में दी गई है वह हैः हर वह मशरूअ् (विधिसम्मत) इबादत जो बन्दे को अल्लाह तआ़ला के निकट कर दे।

जाएज़ वसीला की चंद क़िस्में:

(क) अल्लाह तआ़ला के नाम और सिफ़ात (गुणों) को माध्यम बनाया जाए। उदाहरणः बन्दह अपनी दुआ़ में यह कहेः ऐ सदा ज़िन्दह (जीवित) रहने वाले और अन्यों को जिन्दह रखने वाले! तुझ ही से हम मदद माँगते हैं इत्यादि

(ख) अल्लाह तआ़ला से अपने अच्छे कार्यों के द्वारा माँगे। जैसे यह कहेः ऐ मेरे अल्लाह! मेरे अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने के वसीला से या अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी (आत्मीयता बंधन रक्षा) करने के वसीला से तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे छमा कर दे, तू मुझ पर दया कर और मुझे भोजन दे इत्यादि

(ग) किसी नेक जीवित व्यक्ति की दुआ़ से

अल्लाह तआ़ला का वसीला पकड़े, यानी वह जीवित नेकव्यक्ति से यह कहे कि मेरे लिए दुआ़ करना।

तवस्सुल बिदई: अल्लाह तआ़ला का वसीला (माध्यम) पकड़ना उन कार्यों के द्वारा जो शरीअ़त में नहीं हैं, बिदई वसीला कहलाता है। उदाहरण: नबियों और सालिहीन की ज़ात, मर्यादा या अधिकार से वसीला प्राप्त करना, जैसे यह कहना: ऐ अल्लाह! मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्यादा के माध्यम से तुझ से माँगता हुँ, या मैं तुझ से तेरे फलाँ वली के अधिकार के द्वारा माँगता हुँ कि तू मुझे छमा कर दे, मुझ पर दया कर या मुझ से मेरा दुख टाल दे।

शिरकी वसीला: वह यह है कि किसी व्यक्ति का मृतकों को अपने और अल्लाह तआ़ला के बीच इबादत में माध्यम बनाना, उन्हें पुकारना, उनसे ज़रूरत की चीज़ों का माँगना या उनसे सहायता की दरख़ास्त करना इत्यादि।

किसी विशेष (ख़ास) मुस्लिम के बारे में यह बात कहना जाएज नहीं है कि यह जन्नति है अथवा यह जहन्नमी है, उन लोगों के अ़लावा जिनके बारे में कुरआन या हदीस में आया है कि यह लोग जन्नति हैं या जहन्नमी हैं। कबीरा गुनाह (जो शिर्क और कुफ्र से कम है) की वजह से बन्दा

ईमान से ख़ारिज नहीं होता है, लेकिन इसके कारण दुनिया में उसका ईमान घट जाता है। और आख़िरत में अल्लाह तआ़ला की इच्छा है, अगर चाहेगा तो क्षमा कर देगा और अगर चाहेगा तो उसे यातना देगा।

अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सबके सब न्यायवान (उ़दूल व मुनसिफ) हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के सबसे उत्तम लोग हैं। उन लोगों से मुहब्बत करना दीन और ईमान है। हम उनको याद करते हैं उन उत्तम गुणों के साथ जिनके वे हक़दार हैं। उन में सबसे उत्तम व्यक्ति अबू बकर हैं, फिर उमर, फिर उसमान और उनके बाद अ़ली ﷺ हैं।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्तान अहले बैत यानी आप की पत्नियाँ, आपके रिश्तेदारों में से मुस्लिम लोग, जैसे आपके चचा और उनकी औलाद से मुहब्बत करना दीन है। जिस व्यक्ति ने नबी ﷺ की लाई हुई चीज़ों में से किसी चीज़ का मज़ाक उड़ाया, या अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल को गालि दिया तो वह काफ़िर है। जादु और जादु पर अमल करना तथा उसे सीखना कुफ़्र है।

दुसरा अध्याय

इबादत का बयान

1. तहारत

तहारत (पवित्रता) निम्नलिखित बातों पर आधारित है:

(क) गंदी चीज़ों से पाकी हासिल करना:

इसी लिए नमाज़ पढ़ने वाले का शरीर, जिस जगह नमाज़ पढ़ी जाए वह जगह और कपड़ा जिसे वह पहने हुआ है सब का गंदगी से (जैसे पेशाब, पैखाना और खून से) पाक होना ज़रूरी है।

(ख) नापाकी (हदस) से पाकी हासिल करना:

1. **छोटा हदस:** छोटे हदस से मुराद हर वह चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, जैसे पेशाब, पैखाना करना और हवा का निकलना इत्यादि।

2. **बड़ा हदस:** यानी हर वह चीज़ जो ग़ुस्ल को वाजिब कर देती है, जैसे पत्नी के साथ संभोग करना, नाईटफॉल हो जाना, माहवारी (हैज़) का आना, प्रसव रक्त (निफ़ास) का आना इत्यादि।

वज़ू: हदसे असग़र (जैसे पेशाब पैखाना, हवा का ख़रिज होना इत्यादि) से वाजिबी तौर पर पाकी हासिल करने का नाम है।

वज़ू का तरीका: 1. वज़ू करने वाला ज़ुबान से अदा किए बग़ैर दिल से वज़ू की नीयत करेगा।

2. बिस्मिल्लाह कहेगा और दोनों हथेलियों को तीन बार धोयेगा।

3. फिर तीन बार कुल्ली करेगा और तीन बार नाक में पानी डालेगा।

4. फिर अपने चेहरे को तीन बार धोयेगा। चेहरा की सीमा यह है: चौड़ाई में एक कान से लेकर दूसरे कान तक, और लम्बाई में सिर के बाल के उगने की जगह से लेकर ठुड्डी (दाढ़ी) के अन्तिम भाग तक।

5. फिर दोनों हाथों को तीन बार धोयेगा (उंगलियों के किनारों से लेकर केहुनियों तक)। दाहिने हाथ को पहले धोयेगा फिर बायें हाथ को धोयेगा।

6. फिर अपने सर का मसह एक बार इस तरह करेगा कि दोनों हाथों को पानी से भिगो लेगा, फिर दोनों हाथों को सर के अगले भाग से पिछले भाग तक ले जाएगा, फिर दोनों को अगले भाग तक वापस लाएगा।

7. फिर दोनों कानों का एक बार मसह करेगा।

8. फिर दोनों पैरों को उंगलियों के किनारे से लेकर टख़नों तक धोयेगा, पहले दाहिने पैर को

धोयेगा फिर बायें पैर को धोयेगा।

गुस्ल (स्नान): हदसे अकबर से (जैसे संभोग करने के बाद या माहवारी आने से अथवा प्रसव रक्त यानी निफ़ास का ख़ून आने से) पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है।

गुस्ल करने का तरीक़ा:

1. गुस्ल करने वाला गुस्ल की नीयत दिल से करेगा, जुबान से गुस्ल की नीयत नहीं करेगा।
2. फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अच्छी तरह वजू करेगा।
3. फिर तीन बार अपने सर पर पानी इस प्रकार बहाएगा कि सम्पूर्ण सर अच्छी तरह भीग जाए।
4. फिर अपने सम्पूर्ण शरीर पर पानी डालेगा।

तयम्मुम का बयान: यह वजू या गुस्ल के बदले में मिट्टी से अनिवार्य पाकी हासिल करने का नाम है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो पानी नहीं पाए या पानी का प्रयोग करना उसके लिए हानिकारक हो।

तयम्मुम करने का तरीक़ा:

तयम्मुम करने वाला अपने दिल से पाकी हासिल करने की नीयत करेगा (जैसे वजू या गुस्ल की नीयत)। फिर दोनों हाथों से धरती पर या जिस पर मिट्टी लगी हो जैसे दीवार इत्यादि पर एक बार

मारेगा फिर दोनों हाथों से अपने चेहरे पर मसह करेगा, फिर एक हथेली से दूसरी हथेली पर मसह करेगा।

माहवारी: उस खून को कहते हैं जो जवान होने के पश्चात महिला की बच्चेदानी से बहता है और निर्धारित समय में उसे प्रत्येक महिना आता है।

निफ़ास (प्रसव रक्त): निफ़ास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के पश्चात महिला की योनी से निकलता है।

माहवारी और निफ़ास की हालत में जिन चीजों का करना मना है:

संभोग या मुबाशरत करना: माहवारी या निफ़ास की स्थिति में किसी पति के लिए जाएज़ नहीं है कि वह अपनी पत्नी से संभोग करे।

नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ख़ाना कअ्बा का तवाफ़ करना: माहवारी वाली महिला या निफ़ास वाली महिला के लिए नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और ख़ाना कअ्बा का तवाफ़ करना जाएज़ नहीं है। परन्तु पाक होने के बाद रोज़ा की कज़ा करेगी, नमाज़ की नहीं।

कुरआन छूना या कुरआन देखकर पढ़ना।

मस्जिद में प्रवेश करना: माहवारी या निफ़ास वाली महिला के लिए मस्जिद में प्रवेश करना जाएज़ नहीं

है।

तलाक़: पति के लिए अपनी पत्नी को माहवारी या निफ़ास की हालत में तलाक़ देना जाएज़ नहीं है।

2. नमाज़

नमाज़ कलमा शहादत के बाद इस्लाम का सबसे मर्यादापूर्ण रूक्न (स्तम्भ) है। यह इस्लाम का दूसरा रूक्न है। जिस ने इसे बिल्कुल ही छोड़ दिया वह काफ़िर हो गया। जब कोई मुस्लिम इस नमाज़ को पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज़ उस समय तक सही नहीं होगी जब तक उसके तमाम शुरूत, अरकान और वाजिबात को अच्छी तरह अदा न करे। और यह बातें उसी समय मुम्किन है जब वह नमाज़ उस प्रकार पढ़े जिस प्रकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है।

नमाज़ की शर्तें:

नमाज़ की शर्तों से मुराद यह है कि नमाज़ अदा करने के लिए जो तैयारी की जाए और जिनके बगैर नामज़ सही नहीं होती है, जब कोई शरई कारण नहीं हो। शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. वज़ू के द्वारा हदसे असग़र (जैसे पेशाब, पैख़ाना और हवा ख़ारिज होने इत्यादि) से पाकी हासिल करना।
2. हदसे अकबर (जैसे जनाबत, माहवारी और निफ़ास) से गुस्ल करके पाकी हासिल करना।
3. समय का दाखिल होना: अतः नमाज़ का समय दाखिल होने से पहले नमाज़ सही नहीं होती

है। उदाहरण स्वरूप जुहर की नमाज़ जुहर का समय दाखिल होने से पहले नहीं पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार अन्य नमाज़ों का हाल है।

4. क़िब्ला की ओर चेहरा करके नमाज़ पढ़नाः अतः क़िब्ला की ओर से चेहरा फेर कर किसी अन्य ओर चेहरा करके नमाज़ पढ़ने से नमाज़ सही नहीं होती है। क़िबला से मुराद कअ्बा है।

5. लज्जा स्थान (शर्मगाह) का छुपानाः शर्मगाह के अंगों में से किसी एक अंग के खुला रहने से नमाज़ नहीं होती है। (पुरूष की शर्मगाह नाफ से लेकर घुटना तक है और महिला की शर्मगाह चेहरा और हथेलियों के सिवा उसका सम्पूर्ण शरीर है।)

6. नीयत करनाः नीयत कहते हैं जिस नमाज़ को पढ़ने के लिए नमाज़ी खड़ा हुआ है उस नमाज़ को अदा करने का संकल्प करना। नीयत का स्थान दिल है।

नमाज़ अदा करने का तरीक़ाः

• नमाज़ पढ़ने वाला जहाँ भी हो क़िबला की ओर अपना चेहरा करले। जो नमाज़ वह पढ़ना चाहता है दिल से उसकी नीयत करते हुए खड़ा हो जाए। (शक्ति होने की स्थिति में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना नमाज़ के अरकान में से एक रूक्न है।)

• तकबीरे तहरीमा (अल्लाहु अकबर) कहकर नमाज़ शुरू करे। तकबीरे तहरीमा नमाज़ के अरकान में से एक रूक्न है, परन्तु अन्य तकबीरें जिनका बयान अभी आऐगा नमाज़ के वाजिबात में से हैं।

• फिर अपने दाहिने हाथ को बायें हाथ पर रखकर दोनों हाथों को अपने सीना पर रखे।

• सूरह फ़ातिहा पढ़े और इसका पढ़ना रूक्न है। फिर कुरआने करीम से जो मयस्सर और आसान हो पढ़े।

• अल्लाहु अकबर कहते हुए रूकुअ् करे। (रूकुअ् की हालत में अपने सर को अपनी पीठ के बराबर कर ले और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रख ले।) इत्मीनान से रूकूअ् करे और "सुब्हान रब्बियल अज़ीम" कहे। (यह दुआ तीन बार पढ़ना अफज़ल है।) रूकुअ् करना रूक्न है और "सुब्हान रब्बियल अज़ीम" कहना वाजिब है।

• अपने सर को रूकुअ् से उठाए और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कन्धों तक उठाते हुए सीधा खड़ा हो जाए। (सीधा खड़ा होना रूक्न है।) इमाम और अकेला नमाज़ पढ़ने वाला "समिअल्लाहु लिमन हमिदह" कहे, और जब खड़ा हो जाए तो "रब्बना

लकलहम्द" कहे। "समिअल्लाहु लिमन हमिदह" और "रब्बना लकलहम्द" कहना वाजिब है। मुक़्तदी "समिअल्लाहु लिमन हमिदह" नहीं कहेगा, इमाम को जब यह कहते हुए सुनेगा तो अपना सर उठाएगा और केवल "रब्बना लकलहम्द" कहेगा।

• फिर अपने सात अंगों पर सजदह करेगा। सजदह करना रूक्न है। (सात अंग यह हैं: दोनों हथेलियाँ, पेशानी नाक के साथ, दोनों घुटने और दोनों पैर) अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदह करेगा। सजदह में "सुब्हान रब्बियल आला" कहे। इसे तीन बार पढ़ना अफ़ज़ल है। "सुब्हान रब्बियल आला" पढ़ना वाजिब है।

• फिर तकबीर कहते हुए सजदह से अपने सर को उठाए और बैठ जाए। सजदह से सर उठाना और बैठना रूक्न है। बैठ कर यह दुआ पढ़े: "रब्बिग़फ़िरली" यह दुआ पढ़ना वाजिब है। दोनों सजदे के बीच में इत्मीनान से बैठना रूक्न है।

• फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदह करे। इस सजदह में वही कुछ करे जो पहले सजदह में किया है। (इस प्रकार यह एक रक़्अत मुकम्मल हो गई।)

• अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने सर को

उठाए और दूसरी रक्अ़त के लिए खड़ा हो जाए। और यह रूक्न है। इस रक्अ़त में भी वही कुछ करे जो उसने पहली रक्अ़त में किया है।

• अगर नमाज़ केवल दो रक्अ़त वाली है (जैसे फज्र, जुमा और ईद की नमाज़) तो दूसरी रक्अत के दूसरे सजदह के बाद नमाज़ी बैठ जाए और इस बैठक में तशह्हुद पढ़े। तशह्हुद यह है:

((التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِالله الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)).

उच्चारणः "अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु, वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबीय्यु, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु।"

अर्थः सारी प्रशंसा और नमाज़ें और पाक वस्तुऐं अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो, और अल्लाह की रहमत और उसकी बर्कत अवतारित हो, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं है, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)

उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।

फिर दरूदे इब्राहीमी पढ़े:

((اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ)).

उच्चारण: "अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिँव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिँव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद।"

*अर्थ: "ऐ अल्लाह! कृपा (रहमत) भेज मुहम्मद पर और उनके परिवार पर जैसे रहमत (कृपा) भेजी तूने इब्राहीम (*अलैहिस्सलाम*) पर और उनके परिवार पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य है। ऐ अल्लाह! बर्कत भेज मुहम्मद पर और उनके परिवार पर, जैसे बर्कत भेजी तूने इब्राहीम (*अलैहिस्सलाम*) पर और उनके परिवार पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य है।"*

नमाज़ के आख़िर में दरूदे इब्राहीमी पढ़ने के साथ तशह्हुद पढ़ना नमाज़ के अरकान में से एक रूक्न है।

• फिर दाहिने और बायें ओर सलाम फेरते

हुए कहे (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) दाहिनी ओर एक बार और बायें ओर एक बार। दोनों तरफ़ सलाम फेरना रूक्न है।

• और अगर तीन रक्अ़त वाली या चार रक्अ़त वाली नमाज़ है (जैसे ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़) तो पहले तश्हहुद के बाद (यहाँ पर तशहहुद पढ़ना और उसके लिए बैठना नमाज़ के वाजिबात में से एक वाजिब है) अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। अगर तीन रक्अ़त वाली नमाज़ है तो एक रक्अ़त पूरी करे फिर तीसरी रक्अ़त के बाद आख़िरी तशह्हुद पढ़े, और अगर चार रक्अ़त वाली नमाज़ है तो दो रक्अ़त अदा करे, फिर चौथी रक्अ़त के बाद तशह्हुद पढ़े और दाहिने और बायें सलाम फेरे जैसा कि पहले गुज़र चुका है।

• रूक्नों के दरमियान तर्तीब (जैसा कि नमाज़ के तरीक़ा में बयान किया गया) रूक्न है, अर्थात एक रूक्न को दूसरे रूक्न पर प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा।)

नमाज़ अदा करते समय सम्पूर्ण नमाज़ में इत्मीनान रखना उसके अरकान में से है। (इसका अर्थ यह है कि नमाज़ अदा करते समय शांति–प्रशांति बहाल रखना और जल्दी न करना।)

नमाज़ के वह अरकान[1] जो नमाज़ के तरीक़े में अभी बयान किये गये उनके बग़ैर नमाज़ सही नहीं होती है। जिसने जान बूझकर या भूलकर इन्हें छोड़ दिया उसकी नमाज़ बातिल हो गई।

जहाँ तक प्रश्न है नमाज़ के वाजिबात का जिनका बयान नमाज़ के तरीक़ा में आया है, तो अगर किसी ने उन में से किसी वाजिब को जान बूझकर छोड़ दिया तो उसकी नमाज़ बातिल हो गई, और जिसने उसे भूलकर छोड़ दिया इसकी पूर्ती उन दो सजदों से हो जाती है, जिन दो सजदों को नमाज़ी नमाज़ के अंत में अदा करता है। यह दोनों सजदे सजदह सह्व कहलाते हैं।

नमाज़ बातिल कर देने वाली चीज़ें:

–नमाज़ के अरकान में से कोई रूक्न या वाजिबात में से कोई वाजिब जान बूझकर छोड़ देना।

---

[1] 1. क्षमता होने पर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना। 2. तकबीरे तहरीमा। 3. प्रत्येक रक्अ़त में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। 4. रूकुअ्। 5. रूकुअ् से उठना और सीधा खड़ा हो जाना। 6. सात अंगों पर सजदह करना, वह यह हैं: दोनों हथेली, पेशानी नाक समेत, दोनों घुटना और दोनों पैर। 7. दोनों सजदह के बीच बैठना। 8. अंतिम तशह्हुद। 9. अंतिम तशहहुद के लिए बैठना। 10. दरूदे इब्राहीमी पढ़ना। 11. दोनों तरफ सलाम फेरना। 12. अरकान के बीच तर्तीब रखना। 13. सारे अरकान में इत्मीनान रखना।

—जान बूझकर खाना या पीना।

—नमाज़ की दुआओं के अतिरिक्त जान बूझकर बात करना।

—हवा ख़ारिज होना, या वज़ू अथवा ग़ुस्ल को तोड़ने वाली चीजों में से किसी का पाया जाना, या नमाज़ी के जिस्म में गंदगी का लगा होना।

—बिना किसी ज़रूरत के लगातार अधिक हरकत करना।

—पूरे बदन के साथ क़िब्ला की ओर से फिर जाना।

—हँसना।

—जान बूझकर रूकुअ़, सजदह, क़याम या जल्सा ज्यादा कर देना।

—मुक़्तदी का इमाम से आगे बढ़ जाना।

फ़र्ज़ नमाज़ों के समय और रक्अ़तों की संख्या बयान करने वाला चार्ट

नमाज़ के औक़ात	रक्अ़त की संख्या	नमाज़
फ़ज्र सादिक़ निकलने के बाद से सुरज के निकलने तक।	2	फज्र
सूरज ढलने से लेकर जब प्रत्येक वस्तु का छाया उसके बराबर हो जाए।	4	जुहर
जब प्रत्येक चीज़ का छाया उसके बराबर हो जाए उस समय से लेकर जब प्रत्येक चीज़ का छाया उसका दुगना हो जाए।	4	अस्र
सूरज डूबने के बाद से लेकर सूरज डूबने की लाली (शफ़क़) के ग़ायब होने तक।	3	मग़रिब
सूरज डूबने की लाली (शफ़क़) के ग़ायब होने से लेकर आधी रात तक और आवश्यक्ता पड़ने पर फज्र तक।	4	इशा

नमाज़ संबंधी कुछ और बातें:

(क) पुरूषों पर जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है, महिलाओं पर नहीं।

(ख) पुरूषों पर अज़ान और इक़ामत वाजिब है, महिलाओं पर नहीं।

अज़ान के कलिमात यह हैं:

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह
अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह
हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह
हय्य अलल्फ़लाह हय्य अलल्फ़लाह
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
लाइलाहा इल्लल्लाह

नोट:– फ़ज्र की अज़ान में हय्य अलल्फ़लाह के बाद और अल्लाहु अकबर से पहले दो बार अस्सलातु ख़ैरूम्मिनन्नौम कहे।

पुरूषों पर प्रत्येक फ़र्ज़ नमाज़ के लिए इक़ामत कहना वाजिब है।

इक़ामत के कलिमात यह हैं:

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर

अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह
हय्य अलस्सलाह हय्य अलल्फ़लाह
क़दक़ामतिस्सलाह क़दक़ामतिस्सलाह
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
लाइलाहा इल्लल्लाह

जुमा की नमाज़ का बयान

जुमा की नमाज़ बालिग़ पुरूषों पर फर्ज़ है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [سورة الجمعة: ٩]

"ऐ वह लोगो जो इमान लाए हो! जुमा के दिन की अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की ओर दौड़ पड़ो और व्यापार (बेचना–ख़रीदना) छोड़ दो।" (सूरह जुमाः 9) जुमा की रक्अ़त संख्या दो है। ख़तीब (इमाम) यह नमाज़ जुमा के दिन जुहर की नमाज़ के बदले जमाअ़त के साथ पढ़ाएगा। इस नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना, जुमा का समय दाखिल होने से पहले सवेरे मस्जिद जाना मुस्तहब है। जब ख़तीब ख़ुत्बा आरंभ कर दे तो बात करना जाएज़

नहीं है। और दूसरी अज़ान के बाद व्यापार करना हराम हो जाता है।

इदैन (इदुलफ़ित्र और इदुलअज़हा) की नमाज़

इदैन की नमाज़ सुन्नते मुअक्कदह है, और कुछ उलमा ने कहा कि पुरूषों पर वाजिब है। महिलाओं का ईदगाह में हाज़िर होना अफ़ज़ल है। ईद की नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना, सुन्दर कपड़ा पहनना, ख़ुशबू लगाना, दोनों ईद की रातों में तकबीर कहना मुस्तहब है। **तकबीरे मुत्लक़:** तकबीरे मुत्लक़ उस तकबीर को कहते हैं जिसके लिए कोई समय या अवधि मुक़र्रर नहीं है, बल्कि जारी रहेगा जब तक कि इमाम ईद की नमाज़ के लिए न आजाए। **तकबीरे मुक़य्यद:** तकबीरे मुक़य्यद वह तकबीर है जिसे नमाज़ों के बाद पढ़ा जाता है। तकबीरे मुक़य्यद ईद के चौथे दिन (13 ज़ुल्हिज्जा) सूरज डूबने तक प्रत्येक नमाज़ के बाद केवल इदुलअज़हा में पढ़ी जाएगी। तकबीर के कलिमात यह हैं:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلله الْحَمْدُ

"अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लाइलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिलहम्द"।

जनाज़ह के अहकाम

मय्यत पर चीख़–पुकार करना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ((जिस मय्यत पर शोकालाप (नौहा) किया जाता है, क़ियामत के दिन इस शोकालाप के कारण उसे अज़ाब दिया जाएगा।)) परन्तु रोने में कोई हरज नहीं है। पत्नी अपने पति की मौत पर चार महिने दस दिन शोक मनाएगी। पति के अतिरिक्त किसी अन्य पर तीन दिन से अधिक शोक मनाना जाएज़ नहीं है।

इहदाद (शोक): इहदाद कहते हैं जिस महिला का पति मर जाए, बग़ैर ज़रूरत के उसका अपने घर से न निकलना, सौन्दर्यता प्रदर्शन करने वाले कपड़े न पहनना, सुरमा और खुशबू इत्यादि के द्वारा श्रंगार न करना। इस दौरान उस महिला से निकाह नहीं किया जाएगा, उसे विवाह का पैग़ाम नहीं दिया जाएगा और न ही उस से इस अवधि में विवाह संबंधी कोई बात की जाएगी।

मय्यत को ग़ुस्ल (स्नान) कराने का बयानः

मय्यत को ग़ुस्ल कराना वाजिब है चाहे वह पुरूष हो या महिला हो, छोटा हो या बड़ा हो।

मय्यत को स्नान कराने का तरीक़ाः

1. मय्यत के जिस्म पर इस प्रकार पानी बहाना

कि पूरे बदन में पानी पहुँच जाए।

2. मय्यत को नमाज़ की तरह वज़ू कराना मुस्तहब है। फिर इसके बाद उसे तीन बार गुस्ल दिया जाए।

3. अगर किसी कारण उसे पानी से गुस्ल देना असंभव हो जाए तो उसे नमाज़ की तरह मिट्टी से तय्यमुम कराया जाए।

4. पुरूष पुरूष को स्नान कराएगा, परन्तु पति के लिए जाएज़ है कि वह अपनी पत्नी को स्नान कराए और महिला महिला को स्नान कराएगी , परन्तु पत्नि के लिए जाएज़ है कि वह अपने पति को गुस्ल कराए।

तकफ़ीन यानी मय्यत को कफ़न पहनाने का बयानः

मय्यत को कफ़न पहनाना वाजिब है। सर और दोनों पैर सहित मय्यत के पूरे बदन को कपड़ा इत्यादि से ढाँकने को कफ़न कहते हैं। मय्यत को इस से अच्छी तरह लपेट दिया जाए। पुरूष के कफ़न के लिए तीन कपड़े और महिला के कफ़न के लिए पाँच कपड़े का होना मुस्तहब है।

नमाज़े जनाज़ह का बयानः

मय्यत पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ना वाजिब (फ़र्ज़े किफ़ाया) है, अर्थात कुछ मुसलमानों का उस पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ लेना काफ़ी है। नमाज़े

जनाज़ह के लिए वही शर्तें हैं जो फर्ज़ नमाज़ के लिए हैं। (नमाज़ की शर्तों का बयान देखिए)

मय्यत पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ने का तरीक़ाः

मय्यत को क़िब्ला की ओर रख दिया जाए, और इमाम पुरूष मय्यत के सर के पोस्खड़ा हो जाए, और अगर मय्यत स्त्री हो तो उसके बीच खड़ा हो जाएं, और अन्य नमाज़ी इमाम के पीछे तीन या उससे अधिक सफ़ (पंक्ति) बनाकर खड़े हो जाऐं। अगर केवल एक ही व्यक्ति हो तो वह अकेले ही उस पर नमाज़ पढ़ ले। फिर चार तकबीर कहे। पहली तकबीर के बाद ख़ामोशी से सूरह फ़ातिहा पढ़े। दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इब्राहीमी (अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद——) पढ़े। तीसरी तकबीर के बाद मय्यत के लिए दुआ[1] करे। और

---

[1] ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ))

उच्चारणः "अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्म मन अह्ययतहू मिन्ना फअहयिही अललइस्लामि व मन तवफ़्फ़यतहू मिन्ना फ़तवफ्फहू अलल्ईमान। अल्लाहुम्म ला तहरिमना अजरहू व ला तफ्तिन्ना बादहु।"

अर्थः- ऐ अल्लाह! क्षमा कर हमारे जीवितों को और हमारे मुर्दों को हमारे उपस्थित को और हमारे अनुपस्थित को हमारे छोटों को और बड़ों को और

चौथी तकबीर के बाद बग़ैर कुछ पढ़े दाहिने ओर केवल एक बार सलाम फेरे।

हमारे पुरूषों को और हमारी महिलाओं को। ऐ अल्लाह! हम में से जिनको तू जीवित रखे उसको इस्लाम पर जीवित रख और हम में से जिसको मृत्यु दे, तू उसको ईमान पर मृत्यु दे। ऐ अल्लाह! हमको इसके पुण्य से वंचित न रखना और उसके बाद हमको बुराईयों में मत डालना।

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ))

उच्चारणः "अल्लाहुम्मग़्फ़िर लहू वरहमहू व आफ़िही वा'फ़ु अनहू व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सिअ् मुदख़लहू वग़सिलहु बिलमाइ वस्सलजि वलबरदि व नक़्क़िहि मिनल ख़ताया कमा नक़्क़यतस्सौबल अबयद मिनद्दनसि व अब्दिलहू दारन ख़ैरम्मिन दारिहि व अह्लन ख़ैरम्मिन अहलिहि व ज़ौजन ख़ैरम्मिन ज़ौजिहि व अद्ख़िलहुल जन्नत व अइज़हू मिन अज़ाबिल क़बरि व अज़ाबिन्नार।"

अर्थः ऐ अल्लाह! इसको क्षमा कर दे, और इस पर कृपा कर, इसको शान्ति दे, और इसको क्षमा कर, और इसकी मेहमानी इज़्ज़त के साथ कर, इसकी क़ब्र को फैला दे, और इसके पाप को पानी, बर्फ और ओले से धो दे, और इसकी ग़लतियों को इस प्रकार साफ कर दे, जिस प्रकार तूने सफेद कपड़ा मैल से साफ किया, और इसके घर से अच्छा घर प्रदान कर, और इसके घरवालों से अच्छे घरवाले प्रदान कर, और इसकी पत्नी से अच्छी पत्नी प्रदान कर, और इसको जन्नत में प्रवेश फ़रमा, और इसको क़ब्र के अज़ाब से और नरक के अज़ाब से बचा।)

इमाम या मुनफ़रिद (अकेले नमाज़ पढ़ने वाले) के खड़े होने का स्थान

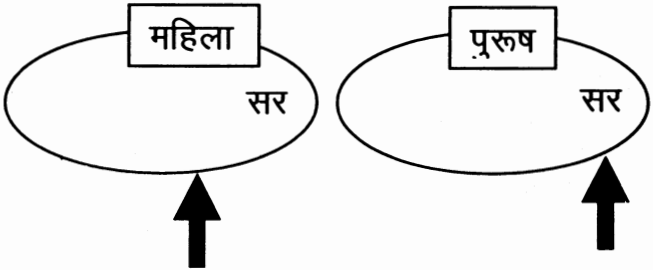

दफ़न करने का बयानः

मय्यत को दफ़न करना वाजिब है। मय्यत को उसकी क़ब्र में क़िब्ला की ओर लेटा देने और उसे दाहिने पहलू के बल रख देने के बाद उसके समस्त शरीर को क़ब्र में छुपा देने को दफ़न कहते हैं।

दफ़न के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिएः

1. क़ब्र को धरती के बराबर करना। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने क़ब्र को धरती के बराबर करने का आदेश दिया है। मगर जुमहूर उलमा ने क़ब्र को एक बालिश्त (बित्ता) उँचा करने को मुस्तहब कहा है।

2. क़ब्र को पक्की बनाना और उस पर इमारत बनाना हराम है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है।

3. क़ब्रों पर मस्जिदें बनाना हराम है।

4. क़ब्रों को खोदकर मय्यत को निकालना हराम है।

5. क़ब्रों पर बैठना हराम है।

3. रोज़ा

रोज़ा कहते हैं फज्र के निकलने से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने, शहवत (संभोग करना, वीर्य निकालना) और समस्त रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों से इबादत की नियत से रूके रहने को। रोज़ा प्रत्येक साल रमज़ान के महीना में फ़र्ज़ है। और साल के अन्य दिनों में नफिल है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٥]

"रमज़ान का महीना वह है, जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों का मार्गदर्शक एवं सत्यासत्य के मध्य निर्णायक है। तुम में जो भी इस महिने को पाये उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो तो उसे दूसरे दिनों में यह गणना पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तआला की

इच्छा तुम्हारे साथ सरलता की है कठोरता की नहीं, वह चाहता है कि तुम गणना पूरी कर लो और अल्लाह तआ़ला के प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार उसकी तकबीर करो ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ।'' (सूरह बक़रहः 185) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान हैः

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ)). [متفق عليه].

इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर हैः इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना और बैतुल्लाह का हज्ज करना। (बुखारी, मुस्लिम)

मुस्लिम पुरूष हो या महिला उस पर रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिए शर्त यह है कि वह अक़्लमंद हो, बालिग़ हो। और महिला के लिए शर्त यह है कि वह माहवारी और निफ़ास के ख़ून से पाक हो।

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ेंः

1– खाने पीने, संभोग करने, वीर्य निकलने, (परन्तु

नींद की हालत में अगर किसी के शरीर से वीर्य निकल जाए तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है) पीने वाली या अन्य चीज़ों का पेट तक पहुँचने, माहवारी और निफ़ास का ख़ून निकलने से रोज़ा टूट जाता है।

2– जिसने रोज़ा तोड़ देने की नीयत कर लिया उसका रोज़ा टूट गया, अगरचे उसने बयान की गई रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का प्रयोग न किया हो।

3– अगर किसी ने रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का भूलकर प्रयोग कर लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है।

4– कोई यात्री (मुसाफ़िर) क़स्र की दूरी (एक दिन और एक रात) तक का यात्रा करता है तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जाएज़ है, पर रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा वाजिब और ज़रूरी है। इसी प्रकार ऐसा बीमार शख़्स जो रोज़ा रखने पर क़ादिर न हो या रोज़ा रखने में उसे कष्ट हो तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जाएज़ है, और वह अपने रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद कर लेगा। अनुरूप गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला जब उसे अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर डर हो तो वह रोज़ा तोड़ देगी और रमज़ान के बाद अपने रोज़े की क़ज़ा

करेगी।

5– बड़ी आयु के लोग (बूढ़ा–बूढ़ी) जिन्हें रोज़ा रखने की क्षमता न हो तो वे रोज़ा तोड़ दें और प्रत्येक दिन के बदले एक मुद्द (प्राय 750 ग्राम) अनाज सदक़ा करें।

4. ज़कात

ज़कात इस्लाम का तीसरा रूक्न है और कुरआन में (लगभग 82 जगहों में) नमाज़ के साथ उसका ज़िक्र आया है।

ज़कात की तअ़रीफ़: ज़कात एक वाजिबी हक़ है जो महान हिकमतों के कारण फ़र्ज़ किया गया है विशेष धन में, विशेष लोगों के लिए, निर्धारित समय में। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [سورة التوبة: ١٠٣]

"आप उनके धनों में से ज़कात ले लीजिए जिसके द्वारा आप उनको पाक साफ कर दें।" (सूरह तौबह: 103) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ)). [متفق عليه].

इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल

हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना और बैतुल्लाह का हज्ज करना। (बुखारी, मुस्लिम)

और ज़कात कोई दान नहीं है जिसे वह किसी को देकर उस पर एहसान कर रहा है। बल्कि यह एक वाजिबी अधिकार है और माली इबादत है। अल्लाह तआ़ला ने उसे वाजिब किया है ग़रीबों के लिए ताकि उनकी आवश्यक्ता पूरी हो और उनकी परेशानी समाप्त हो। यह गुनाहों को मिटाती है, मुसीबत को दूर करती है, और शान्ति की शक्तिशाली भंडार है।

जिन धनों में ज़कात वाजिब है वह चार प्रकार के हैं, वह यह हैं:

धरती से निकलने वाली चीज़ें: अनाज, सिमार (हर वह फल जो परिमेय हो और प्राकृतिक रूप से काफ़ी दिनों तक ख़राब हुए बग़ैर रह ज़ाए, जैसे खजूर, खुश्क अंगूर इत्यादि), खनिज पदार्थ। जहाँ तक मेवह (हर वह फल जिस में उल्लिखित दोनों शर्तें या दोनों में से कोई एक न पाई जाए) और सब्ज़ियों का संबंध है तो उसमें ज़कात नहीं है।

जानवर और चौपाए: ऊँट, गाय और बकरी।

सोना और चाँदी: इन दोनों के अतिरिक्त जो बेशक़ीमत (बहुमूल्य) जवाहिर और रत्न हैं उनमें

ज़कात नहीं है।

व्यापार का सामानः प्रत्येक वह वस्तु जो व्यापार के लिए रखी गई हो। और वह वस्तुएँ जो इस्तेमाल के लिए रखी गईं हों जैसे बिछौना, घर का सामान, घर, गाड़ी इत्यादि तो उनमें ज़कात नहीं है।

पीछे बयान किये गये धनों में उस समय तक ज़कात वाजिब नहीं है जब तक वह उस निसाब को न पहुँच जाए जिसे शरीअ़त ने निर्धारित (तहदीद) किया है। निसाब कहते हैं उस मात्रा (मिक़दार) को जब धन उतनी मिक़दार पहुँच जाए तो उसमें ज़कात वाजिब हो जाती है। और अगर उस मिक़दार तक न पहुँचे तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। निसाब धन के हिसाब से बदलता रहता है।

1. धरती से निकलने वाले पदार्थ की ज़कात

धन का प्रकार	निसाब	वह मात्रा जो निकाली जाएगी
अनाज और फल (जब फल पकने के करीब हो जाए और दाना सख़्त और मज़बूत हो जाए)	जब पाँच वसक़ या उससे अधिक हो जाए। एक वसक़ साठ साअ् का होता है और साअ् कहते हैं किसी आदमी के दोनों हाथ से चार बार भरा हुआ दाना, लगभग तीन किलोग्राम	अगर खेत की सिंचाई नदी नाले या वर्षा के पानी से हुई हो (बिना किसी खर्चा के) तो उसमें दस भाग में एक भाग ज़कात है। परन्तु अगर उसकी सिंचाई बोरिंग या खर्चो से हुई हो तो उसमें बीस भाग में एक भाग ज़कात है।
धरती से निकलने वाले खनिज पदार्थ	जब वह सोना या चाँदी के निसाब को पहुँच जाये या उससे अधिक हो जाए	दसवें भाग की एक चौथाई यानी ढ़ाई प्रतिशत।

2. जानवर और चौपाए की ज़कात

धन का प्रकार	निसाब	वह मात्रा जो निकाली जाएगी
ऊँट	5 – 9	एक बकरी
	10 – 14	दो बकरी
	15 – 19	तीन बकरी
	20 – 24	चार बकरी
गाय	30 – 39	एक साल का बछड़ा
	40 – 59	दो साल की गाय
	60 – 69	एक एक साल का दो बछड़ा
	70 – 79	दो साल की एक गाय और एक साल का एक बछड़ा
बकरी	40–120	एक बकरी
	121–200	दो बकरी
	201–399	तीन बकरी

3. सोना, चाँदी, करेंसी और व्यापारिक सामान की ज़कात

धन का प्रकार	निसाब	वह मात्रा जो निकाली जाएगी
सोना	जब 85 ग्राम या उससे अधिक हो जाए।	दसवें भाग का चौथाई यानी ढ़ाई प्रतिशत
चाँदी	जब 595 ग्राम हो जाए।	दसवें भाग का चौथाई यानी ढ़ाई प्रतिशत
नोट या करेंसी	इसका निसाब सोने चाँदी का निसाब है।	दसवें भाग का चौथाई यानी ढ़ाई प्रतिशत
व्यापार का माल	इसका निसाब सोने चाँदी का निसाब है।	दसवें भाग का चौथाई यानी ढ़ाई प्रतिशत

उल्लिखित धनों में उस समय तक ज़कात नहीं है, जब तक उसकी मिल्कियत में आए हुए उस पर एक साल नहीं बीत जाए। लेकिन निम्नलिखित चीज़ें इस शर्त से अपवादित (मुस्तसना) हैं:

1. **अनाज और फल** – इसकी ज़कात निकालने का समय यह है कि फल पकने के निकट हो जाए और दाना मज़्बूत हो जाए।

2. **व्यापार के सामान का लाभ** – साल पूरा हुए बिना इसकी ज़कात मूलधन के साथ निकाली जाएगी।

3. **जानवर और चौपाए का बच्चा** – साल गुज़रने से पहले उसकी ज़कात माँ के साथ निकाली जाएगी।

ज़कात खर्च करने का स्थान: निम्नलिखित ज़कात के अधिकारी (हक़दार) आठ प्रकार के लोगों के अलावा किसी अन्य लोगों को ज़कात नहीं दी जाएगी।

1. फ़क़ीर।
2. मिसकीन।
3. ज़कात पर काम करने वाले लोग (उसको एकट्ठा करने वाले, उसे बाँटने वाले और अनाथ बच्चों तक उसे पहुँचाने वाले)।
4. दिल को नर्म करने के लिए यानी वह (नया)

मुस्लिम व्यक्ति जिसका इस्लाम कमज़ोर हो उसे ज़कात दी जाएगी ताकि उसका दिल इस्लाम से क़रीब हो जाए, या काफ़िर को दी जाएगी उसके दिल को इस्लाम की ओर झुकाने के लिए या उसकी शरारत से बचने के लिए।

5. गर्दन आज़ाद करने के लिए (मुस्लिम ग़ुलाम को ज़कात के धन से खरीद कर आज़ाद किया जाएगा)।

6. ऋण में दबा हुआ व्यक्ति – ऐसा मक़रूज़ व्यक्ति जिस पर ऋण अदा करना कठिन हो उसे ऋण अदा करने के लिए ज़कात का माल दिया जाएगा।

7. अल्लाह के रास्ते में – अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, मुजाहिदों को तैयार करने के लिए, हथियार ख़रीदने के लिए और जिहाद के अन्यान्य विभाग में ज़कात का प्रयोग किया जा सकता है।

8. इबने सबील – ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से कट जाए और उसे आवश्यकता है तो उसे ज़कात का माल दिया जाएगा अगरचे वह अपने देश में धनी ही क्यों न हो।

ज़कातुलफ़ित्र

जिसे मुस्लिम इदुलफ़ित्र की रात में या ईद के दिन ईद की नमाज़ से पहले निकालता है उसे

ज़कातुलफ़ित्र कहते हैं। उसकी मात्रा एक साअ़ अनाज है। और यह देशवासी फ़क़ीर और मिसकीन को दिया जाता है। यह रोज़ादार के लिए पाकी का कारण है और ग़रीबों का खाना है। एक साअ़ का वज़न लगभग तीन किलोग्राम है।

ज़बह

इससे मुराद यह है कि किसी जानवर को उस का कंठ (सांस चलने की नली) या शिरयान (गर्दन की रगें) काट कर अल्लाह का नाम लेते हुए (यानी बिस्मिल्लाह कहते हुए) ज़बह करना। जिस जानवर का खाना हलाल है उसे बग़ैर ज़बह किए हुए उसका गोश्त खाना जाएज़ नहीं है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [سورة الأنعام: ١٢١]

"तथा उसे न खाओ जिस पशु पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो तथा यह (कर्म) अवज्ञा का है।" (सूरह अनआ़म: 121) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है:

((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا)).

((जो चीज़ ख़ून को बहा दे और उसे अल्लाह का

नाम लेकर ज़बह किया गया हो तो उस जानवर को खाओ।)) मछली और टिड्डी के अ़लावा, इस लिए कि इन दोनों के लिए ज़बह शर्त नहीं है।

5. हज्ज

यह इस्लाम का एक रूक्न है। और प्रत्येक बालिग़, अक़्लमंद, क्षमतावान मुस्लिम पुरूष और महिला पर ज़िंदगी में एक बार इसका अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [سورة آل عمران: ٩٧]

"अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों पर जो उसकी ओर मार्ग पा सकते हैं उस घर का हज्ज अनिवार्य कर दिया है।" (सूरह आले इमरान: 97) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ)). [متفق عليه].

इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना और बैतुल्लाह का हज्ज करना।

(बुखारी, मुस्लिम)

हज्ज के अरकान: हज्ज के अरकान चार हैं:

1. इहराम 2. तवाफ़े इफ़ाज़ा 3. सई 4. अरफ़ात में वकूफ़। अगर इन चार रूकनों में से कोई एक रूक्न छूट जाए और हाजी उसे अदा न कर सके तो उसका हज्ज बातिल हो जाता है।

इहराम: इहराम का अर्थ यह है कि (हज्ज करने वाला) मीक़ात से गुज़रते समय "लब्बैक हज्जन" कहते हुए इबादत में प्रवेश करने की नीयत करे। इस स्थान पर पुरूष सिले हुए सारे कपड़े को उतार दे और इहराम के कपड़े (तहबंद और चादर) पहन ले। अलबत्ता महिला अपने कपड़े ही में इहराम बाँधेगी।

तवाफ़े इफ़ाज़ा: तवाफ़े इफ़ाज़ा वह तवाफ़ है जो कि हज्ज करने वाला दसवीं ज़ुल्हिज्जा को या अय्यामे तशरीक़ (11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा) में हज्ज के तवाफ़ की नीयत से बैतुल्लाह शरीफ़ का सात चक्कर लगाए। तवाफ़ करने वाला हदसे असग़र और हदसे अकबर से पाक हो (यानि उसका वज़ू और गुस्ल हो) और उसका सतर ढँका हुआ हो। सातों चक्कर को लगातार करे यानि चक्करों के बीच में गेप न करे यहाँ तक कि तवाफ समाप्त हो

जाए। कअ्बा को अपने बायें ओर रखकर हजरे असवद से तवाफ़ आरंभ करे।

सईः सई यह है कि (हज्ज करने वाला) हज्ज के सई की नीयत से सफ़ा से आरंभ करके मरवा पर समाप्त करते हुए सफ़ा और मरवा का सात चक्कर लगाए। सफ़ा से मरवा तक जाने का नाम एक चक्कर है और मरवा से सफ़ा आने का नाम एक चक्कर है।

अरफ़ात में वकूफ़ः इसका अर्थ यह है कि ठहरने की नीयत से अरफ़ात नामी स्थान पर उपस्थित होना। 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़ुहर के बाद से वकूफ़ का सय आरंभ होता है और 10 ज़ुल्हिज्जा की फज्र तक जारी रहता है। अगर कोई कुछ समय ही के लिए अरफ़ात में ठहर जाए तो उसका वकूफ़ हो जाता है। परन्तु सुन्नत यह है कि (हाजी) 9 ज़ुल्हिज्जा को सूरज ढलने के बाद से लेकर उस दिन सूरज डुबने तक ठहरा रहे।

उमरह

उमरह किसी समय भी किया जा सकता है। उमरह कहते हैं मीक़ात से इहराम बाँधने, फिर ख़ना क अ्बा का तवाफ़ करने, फिर सफ़ा मरवा की सई करने, फिर बाल मुँडवाने या कटवाने को।

हज्जे तमत्तुअ्[1] का तरीक़ाः

1. हाजी मीक़ात से हज्ज के महीनों (हज्ज के महिने यह हैंः शव्वाल, ज़ुल्क़अ्दह और ज़ुल्हिज्जा के दस दिन) में इहराम बाँधे और यह पढ़ेः "लब्बैक अल्लाहुम्म उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल्हज्ज"
2. फिर मस्जिदे हराम जाए और ख़ाना कअ्बा का सात चक्कर लगाए।
3. फिर सई के स्थान पर जाए और सफ़ा मरवा के दरमियान सात चक्कर लगाए।
4. फिर अपने बाल को छोटा कराए और इहराम से आज़ाद हो जाए फिर अपना कपड़ा पहन ले। इस प्रकार उसका उमरह मुकम्मल हो गया और अब उसके लिए इहराम की हालत में मना की हुई चीज़ें

---

[1] **हज्ज के प्रकारभेदः** हज के तीन प्रकार हैंः तमत्तुअ्, क़िरान और इफ़राद। तीनों में से कोई एक हज्ज करना काफ़ी है।

1. तमत्तुअ् का बयान पुस्तिका में है।
2. क़िरान तमत्तुअ् से इस तरह भिन्न है कि क़िरान करने वाले पर केवल एक तवाफ़ और एक सई है। और हाजी अपने इहराम में ईद के दिन जमरह अक़बा को कंकरी मारने और बाल मुँडाने तक बाक़ी रहेगा।
3. इफ़राद तमत्तुअ् से इस तरह भिन्न है कि इफ़राद करने वाले पर केवल एक तवाफ़ और एक सई है। और हाजी अपने इहराम में ईद के दिन जमरह अक़बा को कंकरी मारने और बाल मुँडाने तक बाक़ी रहेगा। और उस पर हदी का जानवर ज़बह करना नहीं है।

हलाल हो गईं।

5. आठ ज़ुल्हिज्जा को "लब्बैक अल्लाहुम्म हज्जन" कहते हुए हज्ज का इहराम बाँधे। फिर नौ ज़ुल्हिज्जा को अरफ़ात जाए और वहाँ ठहरे।

6. और नौ ज़ुल्हिज्जा को सूरज डूबते समय मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाए।

7. फ़ज्र तक मुज़दलिफ़ा में रात बिताए फिर मिना के लिए रवाना हो जाए।

8. मिना पहुँचकर जमरह अक़बा को कंकरी मारे।

9. फिर अपने सर के बाल को मुँडवा या कटवा ले। महिला भी अपने सर का बाल (उंगली के अग्रभाग के बराबर) काटेगी। फिर अपना इहराम खोल दे।

10. फिर अपना हदी ज़बह करे। अय्यामे तशरीक़ के अंत तक उसे ज़बह करने की अनुमति है।

11. फिर हज्ज का तवाफ़ और उसकी सई करे।

12. फिर मिना में अय्यामे तशरीक़ की रातें बिताए।

13. फिर प्रत्येक दिन सूरज ढलने के बाद तीनों जमरात को कंकरी मारे।

14. मक्का छोड़ने से पहले तवाफ़े विदाअ् करे।

हज के वाजिबातः

(क) मीक़ात से इहराम बाँधनाः जिस व्यक्ति ने मीक़ात के बाद इहराम बाँधा उसने हज्ज के एक

वाजिब को छोड़ दिया।

(ख) सूरज डूबने तक मैदाने अरफ़ात में ठहरे रहना: यह उसके लिए जो वहाँ दिन में पहुँचता है, परन्तु जो व्यक्ति रात को वहाँ पहुँचता है उसके लिए कुछ समय तक वहाँ ठहरना काफ़ी है।

(ग) मुज़दलिफ़ा में रात बिताना: अरफ़ात से जाने के बाद दस ज़ुल्हिज्जा की रात वहाँ बिताना।

(घ) जमरात को कंकरी मारना: दस ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ जमरह अक़बह को कंकरी मारेगा और तीनों जमरात को अय्यामे तशरीक़ में सुरज ढलने के बाद कंकरी मारेगा।

(ड़) बाल मुँडवाना या कटवाना: दसवीं ज़ुल्हिज्जा को जमरह अक़बा को कंकरी मारने के बाद बाल मुँडवाना या कटवाना।

(च) अय्यामे तशरीक़ की रातें मिना में बिताना: यह ग्यारह, बारह और तेरह तारीख की रातें हैं। परन्तु जो (हाजी) जल्दी करना चाहता है उसके लिए सिर्फ़ दो रातें हैं यानी ग्यारह और बारह की रातें।

(छ) तवाफ़े विदाअ्: मक्का से रवाना होने से पहले ख़ाना कअ्बा का सात चक्कर लगाने का नाम तवाफ़े विदाअ् है।

नोटः बयान किये गये वाजिबात में से अगर किसी ने कोई वाजिब छोड़ दिया तो उस पर दम वाजिब है, जिसे वह हरम के क्षेत्र में ज़बह करेगा और हरम के फक़ीरों के बीच बाँट देगा।

इहराम की स्थिति में मना की हुई चीज़ें: मुहरिम पर नौ चीज़ें हज्ज और उमरह के इहराम की स्थिति में मना हैं। और वह यह हैं:

1. केवल पुरूषों के लिए बदन के नाप के अनुसार सिला हुआ कपड़ा पहनना। परन्तू महिला जो कपड़ा चाहे पहने।
2. सर को ढाँकना, केवल पुरूषों के लिए।
3. खुशबू लगाना।
4. सर या बदन के बाल काटना अथवा उखाड़ना।
5. नाखुन काटना।
6. संभोग भूमिका जैसे चुम्बन, बोसा इत्यादि।
7. खुश्की का शिकार करना।
8. विवाह करना या विवाह का पैग़ाम देना।
9. संभोग करना ।

नोटः महिला निक़ाब पहनेगी और न ही दस्ताना पहनेगी।

तृतीय अध्याय

व्यापार और आदान प्रदान

(क) यहाँ कुछ हराम व्यापार का नमुना बयान किया जा रहा है:

• सामान कब्ज़ा में लेने से पहले उसे बेचना। अतः किसी मुस्लिम के लिए जाएज़ नहीं है कि वह कोई सामान ख़रीदे, फिर जिससे उस ने लिया है क़ब्जा करने से पहले उसे बेच दे।

• जब कोई अन्य मुस्लिम सामान ख़रीदे तो किसी मुस्लिम के लिए जाएज़ नहीं है कि वह ख़रीदने वाले से यह कहे: ख़रीदा हुआ सामान लौटा दो, मैं उससे कम क़ीमत में सही सामान तुम्हें दुँगा। या बेचने वाले से कहे: यह ख़रीद व फरोख़्त तोड़ दो, मैं तुम से इससे अधिक क़ीमत में खरीदुँगा।

• किसी मुस्लिम के लिए जाएज़ नहीं है कि वह कोई हराम या नापाक चीज़ बेचे, या किराया पर लगाए, या कोई ऐसी चीज़ बेचे जो हराम चीज़ पर सहायता करे। इसी लिए शराब और सुअर बेचना जाएज़ नहीं है। इसी तरह उस व्यक्ति से अंगूर बेचना भी जाएज़ नहीं है जो उससे शराब

बनाता है, इत्यादि।

• ऐसी चीज़ बेचना जाएज़ नहीं है जिस में धोका हो (यानि जिससे अपने मुस्लिम भाई को धोका दे)। इसी लिए पानी में मछली, हवा में पक्षी, जानवर के पेट में बच्चा और थन में दूध बेचना जाएज़ नहीं है, इत्यादि।

• किसी मुस्लिम के लिए जाएज़ नहीं है कि वह ऐसी चीज़ बेचे जो उसके पास न हो। और किसी चीज़ के मालिक होने से पहले उसे न बेचे, क्योंकि ऐसा करने से परेशानी (समस्या) हो सकती है।

• क़र्ज़ को उधार बेचना जाएज़ नहीं है। इसका उदाहरण यह है कि मान लो तुम्हारी बकरी किसी व्यक्ति के पास निर्धारित समय के लिए क़र्ज़ है। निर्धारितसमय बीत जाने के बाद क र्ज़ी तुम्हें कर्ज़ अदा नहीं कर सका, तो ऐसी स्थिति में वह तुम से कहे कि इस बकरी को तीन सौ रियाल में निर्धारित समय के लिए मुझ से बेच दो। यह है किसी के पास क़र्ज़ को उसी से उधार बेचना जो जाएज़ नहीं है।

• किसी मुस्लिम के लिए यह जाएज़ नहीं है कि वह किसी से कोई चीज़ एक निर्धारित समय के

लिए बेचे फिर वह उसी चीज़ को उसी व्यक्ति से जिससे उसने बेचा है उससे कम क़ीमत में ख़रीदे।

• ख़रीद व फरोख़्त में किसी भी प्रकार का धोका जाएज़ नहीं है।

• ब्याज हराम है। इसी तरह बैंक का इंट्रेस्ट भी हराम है। अनुरूप इन बैंकों में शेयर लेना और इन्वेस्ट करना भी हराम है।

• व्यापारिक बीमा जो धोका पर आधारित होता है हराम है, जैसे वाहन बीमा, व्यापार (दुकान) बीमा, जीवन बीमा इत्यादि।

• जुमा के दिन जुमा की दूसरी अज़ान के बाद किसी मुस्लिम के लिए कुछ ख़रीदना और बेचना जाएज़ नहीं है।

• एक्सचेंज अर्थात एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलते समय दोनों व्यक्ति का उसी स्थान पर हाथों हाथ नक़द लेना आवश्यक है, अगर दोनों व्यक्ति हाथ में लेने से पहले एक दूसरे से अलग हो गए तो ऐसी स्थिति में वह अक़द नष्ट हो गया जिसे हाथ में नहीं लिया था।

(ख) निकाह (शादी):

जो व्यक्ति विवाहित जीवन के ख़र्चे की शक्ति रखता हो और उसे हराम (बलात्कार) में पड़ जाने

का डर हो तो ऐसे व्यक्ति पर इस्लाम विवाह को वाजिब करता है। और अगर बात ऐसी नहीं है तो यह मुस्तहब है और रसूलों की सुन्नत है।

निकाह के सही होने के लिए चार अरकान का पाया जान आवश्यक है, और वह यह हैं:

वली – वह लड़की का बाप है या जो उसका वकील और निगराँ हो या उसके अ़सबा में से क़रीबी रिश्तेदार (जैसे दादा, बेटा, भाई, भाईओं की औलाद, चचा, चाचाओं की औलाद इत्यादि)।

दो गवाह – निकाह के समय दो गवाह हाज़िर होंगे, और दोनों या दो से अधिक न्यायवान (मुनसिफ़) मुस्लिम पुरूष गवाही देंगे।

ईजाब और क़बूल (अक़द का सेग़ा) यह ऐसी इबारत है जिसके द्वारा लड़की के वली और पति के बीच पति और पत्नि का रिश्ता तै होता है, जैसे लड़की का वली लड़का से कहे: (मैं ने अपनी लड़की की शादी तुम से कर दी) तो लड़का यह कहे कि (मैं ने क़बूल (स्वीकार) कर लिया)।

महर – वह (धन) है जिसे लड़की अपने विवाह के समय पति से लेती है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [سورة النساء: ٤]

"और स्त्रियों को उनके महर राज़ी ख़ुशी दे दो

(सूरह निसाः 4) यह उसी का अधिकार है, किसी और का नहीं।

• लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह पर मजबूर करना जिसे वह नहीं चाहती है जाएज़ नहीं है। इस विषय में उससे अनुमति लेना अनिवार्य है।

• किसी व्यक्ति का अपने मुस्लिम भाई के पैग़ाम पर पैग़ाम देना जायज़ नहीं है, परन्तु वह अगर पैग़ाम छोड़ दे तो फिर जाएज़ है।

• किसी व्यक्ति के लिए निकाह से पहले उस लड़की से अकेले में रहना या उसके साथ घूमना फिरना जिससे वह विवाह करना चाहता है जाएज़ नहीं है।

• पति के मरने के बाद शोक मनाने वाली महिला या तलाक़शुदा महिला को इद्दत की अवधि समाप्त होने से पहले शादी का पैग़ाम देना जाएज़ नहीं है।

शोक की अवधिः जिस महिला का पति मर जाए उसके शोक की अवधि चार महीना दस दिन है।

—तलाक़शुदा के इद्दत की अवधि तीन माहवारी आना है, और अगर उसे माहवारी न आती हो तो तीन महीने हैं।

—चार महिलाओं से अधिक किसी मुस्लिम के लिए विवाह करना जाएज़ नहीं है। पति पर उसकी पत्नि और उसके छोटे बच्चों का खर्चा वाजिब है।

• किसी भी स्थिति में काफ़िर के लिए मुस्लिम महिला से विवाह करना जाएज़ नहीं है।

• मुस्लिम के लिए केवल किताबियह (यहूदी और नसरानी) महिला से विवाह करना जाएज़ है। परन्तू अफज़ल यह है कि मुस्लिम पुरूष मुस्लिम महिला ही से विवाह करे।

(ग) तलाक़ः

पति का अपनी पत्नि के साथ लगातार जीवन बिताना कठिन हो जाए और जीवन के सारे रास्ते बन्द हो जायें तो पति के लिए अपनी पत्नि को तलाक़ देना जाएज़ है, यह कहते हुए कि मैं ने तुझे तलाक़ दिया। पति के लिए अपनी पत्नि को तीन तलाक़ देने का अधिकार है। अगर वह एक तलाक़ दे फिर उससे रूजूअ् कर ले तो अब उसे दूसरी और तीसरी तलाक देने का अधिकार है। फिर अगर वह उसे तीसरी तलाक़ दे तो वह स्त्री उसके लिए उस समय तक हलाल नहीं होगी जब तक वह किसी अन्य पुरूष से विवाह न करे फिर वह पति उसके साथ संभोग के बाद उसे तलाक दे।

स्त्री को यह अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक माँगे जब उसका अपने पति के साथ जीवन बिताना असंभव हो जाए।

वह महिलायें जिनसे विवाह करना जाएज़ नहीं है:

1. नसब (ख़ानदान) के संबंध से जो महिलायें हराम हैं, उनकी संख्या सात है: माता, बहन, बेटी, भाँजी, भतीजी, फूफ़ी और ख़ाला।

2. रज़ाअत (दूध पिलाने) से जो महिलायें हराम हो जाती हैं, उनकी संख्या भी सात है: रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, रज़ाई भाँजी, रज़ाई भतीजी, रज़ाई फूफ़ी और रज़ाई ख़ाला। रज़ाअत (धायकर्म) कहते हैं जब कोई महिला किसी बच्चा या बच्ची को दो साल से कम की उम्र में पाँच घोंट दूध पिला दे तो यह बच्चे उस पर ऐसे ही हराम हो जाते हैं जैसे नसब (ख़ानदान) के संबंध से हराम होते हैं।

3. ससुराली रिश्ता द्वारा हराम होने वाली महिलायें चार हैं: पत्नि की बेटी बाद इसके कि उसके साथ रात बिताया (संभोग किया) हो, उसकी बेटियों की बेटियाँ और उसके बेटों की बेटियाँ फिर उसकी बेटियाँ। बाप की पत्नियाँ। बेटे की पत्नियाँ, पोते और नाती की पत्नियाँ। सास, पत्नि की नानी, उसकी दादी और उसके बाद वाली दादी।

एक ही समय में पत्नि और उसकी बहन, पत्नि

और उसकी फूफ़ी, पत्नि और उसकी ख़ाला को विवाह में एकट्ठा करना हराम है।

किसी की पत्नि से विवाह करना हराम है, जब तक कि वह उसे तलाक़ या मौत के द्वारा अलग नहीं कर देता।

खाई जानी वाली चीज़ें:

खाने और पीने की चीज़ों में असल यह है कि वह हलाल है। परन्तु जिन चीज़ों के खाने पीने को शरीअ़त ने हराम किया है वह यह हैं:

1. नशा पैदा कर देने वाली चीज़ें या बेहोश कर देने वाली चीज़ें।
2. अपवित्र (नापाक) चीज़ें।
3. सुअर का गोश्त खाना।
4. पालतु गदहे और खच्चर का गोश्त खाना।
5. प्रत्येक बड़ा दाँत वाला दरिन्दा और प्रत्येक पंजे वाली चिड़ियाँ।
6. मुर्दा जानवर खाना।

चौथा अध्याय

इस्लामी शरीअ़त में कुछ हराम चीज़ें

1. बलात्कार।
2. लिवातत (बाल मैथुन)।
3. नाहक़ अन्य पर अत्याचार करना या किसी मुस्लिम को यातना पहूँचाने का कारण बनना।
4. नाहक़ उन जानों की हत्या करना जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है। (चाहे वह अपनी हत्या करे या किसी और की हत्या कर दे।)
5. बेपर्दगी का इज़हार करना (महिला का अपनी सुंदरता ज़ाहिर करना और सबसे महत्वपूर्ण सुंदरता चेहरा है।)
6. तुहमत (आरोप) लगाना (पाकदामन महिलाओं को बलात्कारी का आरोप लगाना)।
7. माँ बाप की नाफ़रमानी करना।
8. सूद (ऋण)।
9. पुरूषों का सोना और रेशम पहनना।
10. सोना या चाँदी के बरतन में खाना या पीना।
11. जुआ, सट्टा।
12. ख़ियानत (विश्वासघात)।

13. झूठ।
14. चोरी और घूसखोरी।
15. रिश्तेदारों से नाता तोड़ना।